

नाप-तौल उपकरणों के निर्माता के लिये प्रदत्त अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

करने के संबंध में आवेदन

(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत)

चरण-1	<u>आवेदन कब करें ?</u> नाप-तौल उपकरणों के निर्माता के लिये पूर्व प्रदत्त निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराना हो।						
चरण-2	<u>आवेदन कौन कर सकता है ?</u> नाप-तौल उपकरणों के निर्माता के लिये पूर्व प्रदत्त निर्माता अनुज्ञप्ति की वैधता खत्म होने के एक माह पूर्व आवेदन करे।						
चरण-3	<u>आवेदन प्रपत्र</u> मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची- दो (Schedule- II) में प्रपत्र निर्धारित है <table border="1"><tr><td>आवेदन का उद्देश्य</td><td>हिन्दी में प्रपत्र</td><td>अंग्रेजी में प्रपत्र</td></tr><tr><td>निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण हेतु</td><td>प्रारूप द ड- 2</td><td>RM - 2</td></tr></table>	आवेदन का उद्देश्य	हिन्दी में प्रपत्र	अंग्रेजी में प्रपत्र	निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण हेतु	प्रारूप द ड- 2	RM - 2
आवेदन का उद्देश्य	हिन्दी में प्रपत्र	अंग्रेजी में प्रपत्र					
निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण हेतु	प्रारूप द ड- 2	RM - 2					
चरण-4	<u>आवेदन के साथ दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें)</u> <ol style="list-style-type: none">1. अनुज्ञप्ति की छायाप्रति।2. विगत 5 वर्षों में निर्माण किये गये उपकरण व विक्रय किये गये की जानकारी।3. कर्मशाला (वर्कशॉप) में उपलब्ध सुविधाओं के ब्योरे।4. स्थापना का पंजीयन की छायाप्रति।5. वेट/केंद्रीय विक्रय कर/व्रतिकर/आयकर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक।						
चरण-5	<u>आवेदन के साथ शुल्क ?</u> आवेदन के साथ मध्य प्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची-चार में निर्धारित शुल्क। शुल्क रु. 2500/- प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 5 वर्ष के नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदक को जमा करना होगा।						
चरण-6	<u>शुल्क कैसे जमा करें ?</u> ऑन लाईन आवेदन करते समय उपलब्ध Link से						

<p>चरण-7</p>	<p><u>आवेदन कैसे करें ?</u></p> <p>ऑन लाईन आवेदन हेतु लिंक -----</p> <p>STEP- 1 : http://mpedistrict.gov.in/Public/citizen_login.aspx?param=CFhNPrp8Zgw=</p> <p>Link पर Click करें.</p>
<p>चरण-8</p>	<p><u>अनुमोदन की समय-सीमा ?</u></p> <p>ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में -</p> <p>प्रदत्त निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण - 30 कार्य दिवस के अंदर</p>
<p>चरण-9</p>	<p><u>निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण उपरांत नवीनीकृत अनुज्ञप्ति आवेदक कैसे प्राप्त करेगा ?</u></p> <p>STEP-1 : http://www.mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx link पर Click करें open करें.</p> <p>STEP-2 : इसके पश्चात पंजियन आवेदन खोजें पर click करें.</p>
<p>चरण-10</p>	<p><u>अपीलीय अधिकारी:-</u></p> <p>नियंत्रक नाप-तौल मध्यप्रदेश भोपाल</p> <p>अपील कब करें – आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा ।</p>
<p>चरण-11</p>	<p><u>डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन:-</u></p> <p>STEP-1 : http://www.mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx link पर Click करें open करें.</p> <p>STEP-2 : डिजीटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जांचे पर click करे</p>

(नियम 9 (2) देखिये)

प्ररूप द ड -2

मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के अधीन बांट तथा माप के विनिर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन .

प्रति,

.....

.....

क्रमांक	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
1.	उस विनिर्माता समुत्थान का नाम और पूरा पता, जिसके लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहा गया है.	
2.	विनिर्माता अनुज्ञप्ति क्रमांक.	
3.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का नाम/के नाम एवं पता (पते), उनके पिता/पति के नाम सहित.	
4.	(क) बांट और माप का प्रकार जिनका मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार विनिर्माण किया जाता है. (ख) क्या आप कोई परिवर्तन प्रस्तावित करते हैं ?	
5.	आपके द्वारा विनिर्मित बांट और' माप पर प्रयुक्त मोनोग्राम या व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क).	
6.	कर्मशाला (वर्कशाप) में उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे.	
7.	विगत 5 वर्ष में उत्पादन और विक्रय के ब्यौरे.	

8.	दुकान/स्थापना का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख.	
9.	वेट / केन्द्रीय विक्रय कर / वृत्तिकर / आयकर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.	
<p>आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए.</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उनका या उनके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।</p> <p>मैंने / हमने नियत अनुज्ञप्ति फीस, के रूपये (रूपये) उप-खजाना / बैंक में तारीख को जमा करा दिए हैं और मूल चालान संलग्न है।</p> <p>ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।</p>		
स्थान :	
तारीख :		हस्ताक्षर और पदनाम

Form R M-2
[See rule 9 (2)]

**Application for renewal Licence as Manufacturer of Weights & Measures
under the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011**

To,

No.	To be filled by the Applicant	Comments of the inspection officer
(1)	(2)	(3)
1.	Name and complete address of the manufacturing concern for which renewal of licence is desired.	

2.	Manufacturing Licence No.		
3.	Name (s) and address (s) along with their father's / husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.		
4.	(a) Type of weights and measures which are manufactured as per licence granted. (b) Do you propose any change.		
5.	The monogram or trade marks used on weights and measures manufactured by you.		
6.	Details of workshop facilities available.		
7.	Details of production and sales in the last 5 years.		
8.	Number and date of shop/establishment Registration Number.		
9.	Registration Number of VAT/ CST / Professional Tax / Income Tax.		

To be certified by the applicant (s)

Certified that I / We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.

I / We have deposited the Scheduled licence fees of Rs.
(Rupees) to the Sub-Treasury / Bank on and the original Challan is enclosed.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :

Date :

Signature and Name

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म.प्र. भोपाल

सेवा क्रमांक :- 34.14

आवेदन द्वारा निर्माता अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करने हेतु प्रस्तुत किये गए आवेदन पत्र पर नापतौल (विधिक मापविज्ञान), विभाग द्वारा निरीक्षण एवं तदोपरांत की जाने वाली कार्यवाही का फ्लोचार्ट :-

